FMCD

Subject: All India First Application for Polyvinyl Chloride (PVC) and its copolymers
For its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking

Water as per IS 10151:2019

FMCD has received an application under Normal Procedure for grant of licence to use Standard Mark on Polyvinyl Chloride (PVC) and its copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking Water as per IS 10151:2019.

As per the information available at BIS website/ CMMS, following points have been observed:

- i) As on date no BIS licence exists for the product on all India basis.
- ii) Marking fee rate& STI/SIT are also not available for the product.

Therefore, this application would be considered to be All India First Application for the product.

All ROs and BOs are, therefore, requested to send any information regarding the above product by return mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be useful to process the application.

CMD/ROs/BOs are requested to inform if any licence had been granted in past and subsequently cancelled, and if so, information regarding relevant STI/SIT/Marking fee/Test Lab may kindly be provided.

(Shouvik Chanda) Sc.C (FMCD)

Head (FMCD)

DDG (Certification)

Head (CMD I)

Head (CMD II_

Head (CMD III)

Head (LPPD)

All ROs/BOs

विदेशी उत्पादक प्रमाणन विभाग

हमारा संद्धर्भ : एफएमसीडी/ऐआईआर/आई एस 10151

€ सितम्बर 2019

विषय : आई एस 10151:2019 खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स और पीने के पानी के संपर्क में सुरक्षित उपयोग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और इसके कोपोलिमर के लिए अखिल भारतीय पहला आवेदन

एफएमसीडी को स्टैंडर्ड मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने की स्कीम के तहत आईएस 10151:2019 खाद्य पदार्थीं, फार्मास्यूटिकल्स और पीने के पानी के संपर्क में सुरक्षित उपयोग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और इसके कोपोलिमर के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ हैं

बीआईएस वेबसाइट / इंट्रानेट पर उपलब्ध सूचना से, निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :

- 1. अभी तक इस उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है
- 2. इस उत्पाद के लिए मार्किंग शुल्क दरें व एसआईटी उपलब्ध है।

इसलिए, इस आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के लिए 'अखिल भारतीय प्रथम आवेदन' माना जाएगा।

इसके अलावा, सभी आरओ और बीओ से अनुरोध किया जाता है कि यदि उपरोक्त उत्पाद के संबंध में कौई भी आवेदन उनके अंत में लिबंत है या कोई ऐसी अन्य सूचना जो कि आवेदन को संसाधित करने के लिए उपयोगी हो सकती है, मेल द्वारा भेज सकते हैं।

सीएमडी/आरओ/बीओ को यह सूचित करने के लिए पुनः आमंत्रित किया जाता है कि क्या कोई लाइसेंस अतीत में और बाद में रद्द कर दिया गया था, और यदि ऐसा है, तो उसके बारे में जानकारी प्रदान करें ।

एलपीपीडी को यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि क्या आईएस 10151:2019 के अनुसार उत्पाद के लिए पूर्ण परीक्षण सुविधा किसी भी अन्य बीआईएस/बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के पास उपलब्ध है, और यदि है तो परीक्षण शुल्क के साथ सूचित करने की कृपा करें।

(शौविक चंदा) वै.सी. (एफएमसीडी)

प्रमुख (एफएमसीडी)

प्रतिलिपि :

डीडीजी (प्रमाणन)

प्रमुख (सीएमडी I, II व III)

प्रमुख (एलपीपीडी)

प्रमुख (सभी आरओ व बीओ)

आईटीएसडी - इट्रांनेट पर परिपत्र को डालने हेत्